FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... शिवचरण मीना

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–01 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–01/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.03.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम मण्डावर भूमि ख0न0 609 रकबा 0.007 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता पर गैरसायल शिवचरण मीना पुत्र हरसहाय मीना जाति मीना निवासी बनावड़ हाल निवासी महावीर कॉलोनी मण्डावर द्वारा चारदीवारी कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया। तथा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया। परन्तु पटवारी हल्का से वर्तमान मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार गैर सायल द्वारा सम्पूर्ण अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। जिसके बाद गैर सायल को पुनः नोटिस जारी किया गया। एवं गैर सायल द्वारा पूर्ण अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.28 रूपये का 50 गुणा 14 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	

रा0 ले0 स0 4 वर्ष–2078 की
पृ0 सं0–1 पर–14 रु कें
मांग कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार